राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–36/2009

रामजी लाल बलाई —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, बडोदामेव, वर्तमान जिला परिषद कार्यालय (उप निदेशक कृषि विस्तार) ऑल्ड स्टेशन रोड, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक कर्मचारी के पद पर दिनांक 17.07.1968 को हुई थी। उसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति क्षेत्रपाल के पद पर आदेश दिनांक 21.09.1970 के द्वारा हुई। क्षेत्रपाल का पद कृषि सुपरवाइजर के नाम से जाना गया। अपीलार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2006 को सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की ग्रेचुटी आदेश से विभागीय वसुली 58695/– रुपये की करते हुए ग्रेचुटी का भुगतान किया गया। वसुली का कोई कारण अंकित नहीं किया गया, न ही अपीलार्थी को कोई अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया। बिना किसी कारण के अपीलार्थी से वसुली गलत रूप से की गई। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.07.1968 को ध्यान में रखते हुए तृतीय चयनित वेतनमान 27 वर्ष की सेवा पर दिनांक 17.07.1995 को बकाया हो चुका है और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2006 को सेवानिवृत्त भी हो चुका है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आज तक 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप हर माह पेंशन कम मिल रही है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने उससे वसुली की गई 58695/– रुपये की राशि वापस दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है एवं यह भी प्रार्थना की है कि 27 वर्ष की सेवा 17.06.1995 को पूरी होने पर अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान दिया जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को अस्थायी आधार पर सहायक कृषि अधिकारी के पद पर तीन माह के लिये अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने तक लगाया गया था। राज० कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के उपनियम 6 के अंतर्गत दिनांक 27.08.1992 से अपीलार्थी को नियमित किया गया था । अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित नहीं होकर अस्थाई आधार पर की गई थी। अतः अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति तिथि से गणना कर दिया गया है, जो नियमानुसार दिया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान देय होता है, ना कि प्रथम नियुक्ति तिथि से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार पदोन्नति योग्यता नहीं रखने वाले कर्मचारियों को पैरा–5 के तहत चयनित वेतनमान देय है। अपीलार्थी सहायक कृषि अधिकारी के पद की राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 संशोधन दिनांक 01.04.1991 के अनुसार इस पद पर –पदोन्नति की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता था। अपीलार्थी कृषि विषय रहित योग्यता रखता है जो कि सेवा नियमों के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक के पद से प्रथम पदोन्नति पद सहायक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं रखता। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी श्री रामजीलाल बलाई, से.नि. कृषि पर्यवेक्षक की योग्यता कृषि विषय में नहीं होने से कृषि पर्यवेक्षक के पद से सहायक कृषि अधिकारी पद पर पदोन्नति की वांछित योग्यता नहीं रखते हैं। वित्त विभाग के चयनित वेतनमान स्वीकृत के आदेश दिनांक 25.01.1992 एवं राज0 सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 के आदेश दिनांक 17.02.1998 में पदोन्नति की योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को इन आदेशों के पैरा–5 के अनुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी भी पैरा–5 के अनुसार चयनित वेतनमान की पात्रता रखते हैं। इस कारण से वेतन स्थिरीकरण पुनः वेतनमान 5000–8000 में संशोधन नियमानुसार किया जाकर अधिक भुगतान की वसूली नियमानुसार ग्रेच्युटी से की गई है, जो कि नियमानुसार एवं विधिसम्मत है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी ने अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 17.07.1968 होना बताया है, परंतु प्रथम नियुक्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह कथन अंकित किया है कि अपीलार्थी को अस्थायी आधार पर सहायक कृषि अधिकारी के पद पर 3 माह के लिए अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध कराने तक के समय के लिए अपीलार्थी को नियुक्त किया गया था। यह भी अंकित

किया है कि राजस्थान कृषि अधिनस्थ सेवा नियम–1978 के उप नियम–6 के अंतर्गत अपीलार्थी को दिनांक 27.06.1992 को नियमित किया गया था। अतः अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14491/2013 में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बनाम श्रीमती इंदु शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

"7. In view of the admitted factual matrix, the controversy raised herein may not detain this Court for long in the face of authoritative pronouncement on the issue by the Hon'ble Apex Court of the land in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), wherein the Hon'ble Supreme Court held that promotion has to be in the existing cadre in service. Adhoc appointment is always to a post, but not to the cadre/service and is not made in terms of recruitment rules for regular appointment. In case of ad hoc employees, stagnation is till regularization is made. The stress in the present case is on 'regular' appointment to cadre/service. The question of promotion arises only when appointment is a regular appointment. Further, appointment to the post is not relevant; on the other hand, what is relevant is the period relatable to cadre of the service. Therefore, while reckoning the required length of service, the period of ad hoc service has to be excluded.

In view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), it is evident that the respondent-employee was not appointed in any existing cadre/service, and therefore, ad hoc/temporary appointment will not qualify to be treated as 'regular appointment'.

9. For the reasons and discussions herein above and in view of the law declared by the Hon'ble Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi (supra), the impugned order passed by the learned Tribunal cannot be sustained and has to be quashed and set aside.

10. Ordered accordingly.

11. Consequently, the writ application succeeds. The impugned order dated 11th December, 2002, is hereby quashed and set aside.

12. In view of the final adjudication on the writ application, the stay application stands closed.

13. However, in the facts and circumstances of the case, there shall be no order as to costs."

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी (2009) 12 एस.सी.सी. 49 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं कि चयनित वेतनमान हेतु नियमित नियुक्ति की तिथि से ही सेवा की गणना की जानी है जिसकी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में पुनः पुष्टि की हैं।

5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be

considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नियमित नियुक्ति की तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वसुली की गई है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को जितनी भी राशि का भुगतान किया गया है, उसमें अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से अपीलार्थी ने यह माना है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपीलार्थी से राशि वसुली किये जाने का प्रश्न है, तो हम यह पाते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात ग्रेचुटी में से राशि की वसुली किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की ग्रेचुटी में से वसुली की गई राशि 58695/– वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पास सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने योग्य शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इस कारण से अपीलार्थी को चयनित वेतनमान देय नहीं है। इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण रिट याचिका संख्या 2953/2010 मुरलीधर वर्मा व अन्य बनाम स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2011 निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> *"In this case, when the post of Agriculture Supervisor (both Graduate and Non-Graduate) is the feeder post for promotion to the post of Assistant Agriculture Officer without involving any difference in procedure, then, obviously the case of the petitioners cannot be discriminated for the purpose of granting selection scale infiltrating extraneous consideration beyond the parameters laid down in notification dated 25.01.1992 on the basis of educational qualification. If, both Graduate Agriculture Supervisor and Non-Graduate Agriculture Supervisor both are eligible for promotion, on identical footing, as per the promotion rules for promotion to the post of Assistant Agriculture Officer, then, Agriculture Supervisors (Non Graduate) are very much entitled to get the selection scale in the pay scale of the post of Assistant Agriculture Officer upon completion of 9 years of service and, as per order dated 25.01.1992, all the financial benefits are required to be given from 25.01.1992, the day on which selection scales were provided for the employees.*
>
> *In this view of the matter, while accepting this petition for writ, it is held that the respondent University's action in withdrawing and not allowing the selection scale in the pay scale of the post of Assistant Agriculture Officer to Agriculture Supervisors (Non Graduate) upon completion of 9 years' service is arbitrary and in violation of Article 14 of the Constitution of India as well as intention of notification dated 25.01.1992. In this view of the matter, all the impugned notices/letters are hereby quashed and set aside and the respondents are directed to grant selection scale to the Agriculture Supervisors (Non Graduate) upon completion of 9 years of service in the pay scale of the post of Assistant Agriculture Officer as per notification dated 25.01.1992. If the same is already granted it shall not be disturbed and in the event any recovery has been effected the same shall be restored and those employees (petitioners) who were not granted said benefit they shall be granted selection scale in the pay scale of Assistant Agriculture Officer after completion of 9 years of service. Entire exercise shall be completed within a*

period of three months from the date of receipt of certified copy of this order."

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत से यह प्रकट होता है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है। चयनित वेतनमान पदोन्नति की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने के आधार पर रोका जाना उचित नहीं है।

9. अतः परिणामस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वसुल की गई राशि 58695/— अपीलार्थी को 3 माह में 6 प्रतिशत वार्षिक दर सहित लौटाई जाये। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए अपीलार्थी की 27 वर्षों की सेवा संतोषजनक होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)